कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल औबेदुल्लागंज

क्रमांक / सामान्य / 07 / 1856 औ0गंज / दिनांक:16.08.07

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक,

(संरक्षण) म0प्र0 भोपाल

विषय :– परिक्षेत्र गौहरगंज के वाराघाना नाके पर वनकर्मियों पर हुये हमला बाबत्।

---000---

वनमंडल अन्तर्गत वन परिक्षेत्र गौहरगंज के वाराघाना स्थित वन नाकें पर वन माफियाओं द्वारा वनकर्मियों पर हमला किया गया । इस हमले में वनसुरक्षा कर्मी की शासकीय बंदूक से गोली चलने से एक लकड़ी चोर घायल हो गया तथा मुठभेंड़ में वनकर्मी गंभीर रूप से घायल हुये । दिनांक 13.08.2007 एवं 14.08.2007 की दरम्यानी रात्रि में वनपरिक्षेत्र गौहरगंज के वन कर्मचारी श्री परसराम पोर्ते परिक्षेत्र सहायक समनापुर, यशवंत लाल भील परिक्षेत्र सहायक गौहरगंज, रणवीर सिंह ठाकुर वनरक्षक, लाखन सिंह जगेत वनरक्षक, निसार अहमद वनरक्षक, अयाज अहमद वनरक्षक तथा जगदीश दुबे वनरक्षक, बीट सीहोरा के वनक्षेत्रों में सामूहिक गस्ती कर रहे थे उसी दौरान प्रातः तीन बजे बीट सीहोरा के कक्ष क्रमांक आर.एफ–318 से होकर जाने वाले सतगढ़ी मार्ग पर, जो कि लकड़ी चोरो का रास्ता है, में दो बैलगाडियों पर कुछ लोग इमारती सागौन के लट्ठे ले जाते हुये गस्ती दल को दिखाई दिये। समीप पहुँचने पर गाड़ीयों में सवार सात–आठ लोग बैलगाड़ी छोड़कर भाग गये। वनकर्मियों द्वारा टार्च की रोशनी में अपराधियों को पहचानने का प्रयास किया जिसमें चार व्यक्तियों को बाबू खां वल्द हमीद खॉ, लईक वल्द जफर मो. मुजीव खॉ वल्द अमीन खॉ तथा जमील खॉ, वल्द जम्मू खॉ निवासी ग्राम चौपड़ा को पहचाना जा सका, शेष तीन अपराधी पहचाने नही जा सके। सभी अपराधी अंधेरे का फायदा उठाकर घने जंगलो में भागने में सफल हुये। वनकर्मियों के बैलगाड़ी का मुआयना करने पर पाया कि, एक बैलगाड़ी में 10 नग तथा दूसरी गाड़ी में 04 नग सागौन के गीले लट्ठे भरे हुये थे, जो कि लकड़ी चोरो द्वारा अवैध रूप से परिवहन किये जा रहे थे। गस्ती दल द्वारा जप्ती की कार्यवाही की गई तथा वन अपराध प्रकरण क्रमांक 4076 / 11 दिनांक 14.08.2007 (बीट प्रभारी श्री अयाज अहमद द्वारा) जारी किया गया। जप्त दोनो बैलगाड़ी मय सागौन की लकड़ी सहित वनकर्मियों द्वारा वाराघाना नाके पर लाकर रखी गई। तभी लगभग 4 बजे अचानक अपराधी बाबू खॉ, लईक, जमील, मुजीव ने अपने साथियों के साथ मिलकर वनकर्मियों पर पथराव करते हुये कुल्हाड़ी एवं देशी कट्टे से हमला कर दिया। वनकर्मी स्वयं को हमले से बचाने का प्रयास करने लगे तभी बाबू खॉ द्वारा कुल्हाड़ी से निसार अहमद वनरक्षक, बीटगार्ड करकवानी पर प्राण घातक हमला किया। निसार अहमद द्वारा फुर्ती से हमले का बचाव करते हुये कुल्हाड़ी पकड़ने का प्रयास किया, जिसमें कुल्हाड़ी निसार अहमद के होठ में लगी तथा खून बहने लगा। तभी मौके का फायदा उठाते हुये बाबू खॉ द्वारा वनकर्मियों से शासकीय बारह बोर बंदूक छीनने का प्रयास किया। तथा वनकर्मियों एवं लकड़ी चोरो के बीच छीना झपटी हुई। इस छीना झपटी में शासकीय बन्दूक का ट्रेगर दबने से गोली चल गई और बंदूक से चली गोली अपराधी बाबू खॉ की पीठ में लगी जिससे वह घायल होकर गिर गया तथा उसके अन्य साथी भाग गये। घायल वनकर्मियों ने स्वयं को सहेजते हुये वरिष्ठ अधिकारियों को घटना के संबंध में सूचित किया गया तथा मदद की गुहार की गई। परिक्षेत्र

चिकलोद के वनकर्मी जो कि उनके वनक्षेत्रों में गस्त कर रहे थे, सूचना पाने पर घटना स्थल पर पहुँचे। परिक्षेत्राधिकारी गौहरगंज द्वारा मौके पर पहुँचकर आवश्यक कार्यवाही शीघ्र पूर्ण कराते हुये घायल वनकर्मी तथा घायल अपराधी को लाकर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र औबेदुल्लागंज में प्राथमिक उपचार कराया गया तथा श्री निसार अहमद वनरक्षक ने थाना औबेदुल्लागंज में घटना की प्राथमिक रिपोर्ट, अपराध क्रमांक 353/07 दर्ज कराई। अपराधी बाबू खॉ को इलाज के लिये हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्राथमिक उपचार उपरांत जप्त बैलगाड़ियों में भरी गीली सागौन लकड़ी 14 नग सागौन = 0.761 घ.मी. का मूल्य लगभग रूपये 30000/– पाया गया। हमले में परिक्षेत्र गौहरगंज के वनकर्मी अयाज अहमद वनरक्षक, निसार अहमद वनरक्षक तथा लाखनसिंह जगैत वनरक्षक, परसराम पोंते, रणवीरसिंह ठाकुर, जगदीश दुबे तथा यशवंत भील घायल हुये। जिनका उपचार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में कराया गया।

घटना में शामिल समस्त अपराधी आदतन लकड़ी चोर है, जो कि गौहरगंज तहसील के ग्राम चौपड़ा एवं मुरारी के रहने वाले है। इन ग्रामों के अधिकांश व्यक्ति अपराधिक प्रवृत्ति के है तथा पेशेवर लकड़ी चोर है। इन अपराधियों के द्वारा प्रायः परिक्षेत्र गौहरगंज एवं परिक्षेत्र चिकलोद के वनक्षेत्रों में लकड़ी चोरी करने का प्रयास किया जाता है। घटना में शामिल अपराधियों के विरूद्ध पूर्व में भी लकड़ी चोरी के प्रकरण दर्ज है। परिक्षेत्र गौहरगंज के अन्तर्गत अपराधी बाबू खॉ वल्द हमीद खॉ के विरूद्ध वन अपराध प्रकरण क्रमांक 4072/04 दिनांक 02.04.07 दर्ज है, जो कि अपराधी के फरार होने के कारण विवेचना में है। लईक खॉ वल्द जफर खॉ के विरूद्ध वनअपराध प्रकरण क्रमांक 3239/24 दिनांक 28.04.06 पंजीबद्ध है प्रकरण में न्यायालय में आर.टी.नम्बर 2130/06 द्वारा न्यायालय में चालान पेश किया गया है। जो न्यायालय में विचाराधीन है। तथा वन अपराध प्रकरण क्रमांक 3041/06 दिनांक 21.12.95 एवं वनअपराध प्रकरण क्रमांक 2944/21 दिनांक 10.01.96 जारी किये जाकर कार्यवाही की गई है। मुजीव खॉ वल्द अमीन खॉ के विरूद्ध वन अपराध प्रकरण क्रमांक 1776/18 दिनांक 27.10.05 पंजीबद्ध हैं। जिसमें आर.टी.नम्बर 02/08 द्वारा न्यायालय में चालान पेश किया गया है। जो न्यायालय में विचाराधीन है।

यहां यह उल्लेखनीय हैं कि गत वर्ष दिनांक 25.06.06 को ग्राम चौपड़ा (मुरारी) के आदतन वन अपराधियों द्वारा वन भ्रमण के दौरान श्री लालसिंह आदिवासी उपवनक्षेत्रपाल परिक्षेत्र सहायक भोजपुर (परिक्षेत्र चिकलोद) एवं वनरक्षक श्री कुलदीप चौहान के ऊपर भी प्राण घातक हमला कर घायल किया गया था। प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

इस प्रकार उपरोक्त घटना में शामिल ग्राम चौपड़ा के वन अपराधी आदतन लकड़ी चोर है जिनके विरूद्ध सख्त कार्यवाही किये जाने तथा वनकर्मियों को संरक्षण प्रदान किया जाना आवश्यक है ताकि भविष्य में अपराधियो द्वारा वनकर्मियों पर हमले करने का साहस न किया जा सके तभी वनो की सुरक्षा तथा वन अपराधो पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित हो सकेगा।

वनमंडलाधिकारी,
सामान्य वनमंडल औ.गंज

पृ.क्रमांक/सामान्य/1859
औ.गंज/दिनांकः 16.08.07

प्रतिलिपि :–

वनसंरक्षक भोपाल वृत्त भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

वनमंडलाधिकारी,
सामान्य वनमंडल औ.गंज